

**मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित
आदेश**

क्रमांक/मा.वि./2022 **191**

इन्दौर दिनांक **4/5/2022**

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 3-09-2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :-

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे० मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या प्रति हे.	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति	योजना अवधि
धार	सरदारपुर	टाण्डा-बोरी टाण्डा-बलवारी एवं भाभरा- उदयगढ़ मार्ग	ग्राम मोयाखेड़ा खसरा क्रमांक 553/1	5.145	38.50	1000	सागौन, नीम, बांस, पिपल, प्रोसोपीस, अर्जुन, बेहड़ा आदि	2022-23 से 2032-33

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन मान्य रहेगी :-

- समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदर्शों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।
- फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।
- स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।
- वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
- तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
- कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवें बदलाव कर सकेगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावें।

योजना में जिन कार्यों के माप, डिजाइन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।

योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।

श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे। योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।

प्रस्तावित क्षेत्र के Google earth का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यों को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।

कार्य के दौरान समस्त कार्यों के फोटोग्राफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्राफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये हैं, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

जहाँ तक संभव हो ढूँढ ड्रेसिंग एवं पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावें। उपरोक्त दोनों कार्यों को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावें। भू एवं जल संरक्षण के कार्य में नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावें चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावें।

17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।

18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावें तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावें।

19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावें। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नहीं कराया जावें। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावें। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाऊ मिट्टी प्राप्त की जावें।

20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।

21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावें।

Dr. S. S. N.

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक,

इन्दौर वृत्त, इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 4/5/2022

पृ.क्र./मा.चि./2022 2488,
प्रतिलिपि :-

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल धार की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2022/1862 दिनांक 22.4.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता/असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

3 वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

4 आदेश प्रति

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की

Dr. S. S. N.

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक,

इन्दौर वृत्त, इन्दौर

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण
अ. परियोजना का नाम :- टांडा-बलवारी मार्ग परियोजना
ब. भारत सरकार का अनुमोदन क्रमांक दिनांक
स. प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण :- 5.145 हे.
2. जिला :- धार
3. वनमंडल :- धार
4. परिक्षेत्र :- सरदारपुर
5. तहसील :- सरदारपुर
6. विकास खण्ड :- सरदारपुर
7. विधानसभा क्षेत्र :- सरदारपुर
8. ग्राम पंचायत :- बोदली
9. क्षेत्रिय परिक्षेत्र सहायक वृत्त :- सरदारपुर
10. क्षेत्रिय परिसर (बीट) :- जौलाना
11 परिसर रक्षक/वन रक्षक का नाम :- श्री गोकुल नगेश
12 परिक्षेत्र सहायक का नाम :- श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा

- 2/ 1. योजना का उद्देश्य - वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
2. क्षेत्रफल - 5.145 हेक्टेअर

3/ उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

कट बैक का क्षेत्र - निरंक

वृक्षारोपण का क्षेत्र - 5.145 हेक्टेअर

संरक्षण का क्षेत्र - निरंक

लैण्टाना - 1 हे.

- 4/ रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जायेंगे :- माही रोपणी सरदारपुर

- 5/ रोपणी से रोपण स्थल की दूरी :-

(ए) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा : 12 किमी.

(बी) सिरबोझ द्वारा : 2 किमी.

6/ योजना की अवधि

- 8/ 1. योजना पर होने वाला संग्रहित व्यय 11 वर्ष (2022 - 23 से 2032 - 33 तक) : रु. 38.50 लाख

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है।)

2. प्रति हेक्टेअर व्यय

: रु. 7.48 लाख

भाग 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य / वृक्षारोपण के योग्य है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

प्रोजेक्ट अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


वन मण्डल अधिकारी
धार (क्षेत्रीय) वन मण्डल धार, (म. प्र.)
निरीक्षण दिनांक

अनुमोदित
तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 191 दिनांक 4/5/2022 द्वारा जारी
की गयी।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
इन्दौर वन वृत्त, इन्दौर (म. प्र.)

गोशवारा

विवरण	वर्ष	राशि	प्रति हे. व्यय
प्रथम वर्ष - क्षेत्र तैयारी	2022 - 23	950000	184645
द्वितीय वर्ष - रोपण	2023 - 24	370000	71915
तृतीय वर्ष - रखरखाव का प्रथम वर्ष	2024 - 25	400000	77745
चतुर्थ वर्ष - रखरखाव का द्वितीय वर्ष	2025 - 26	425000	82604
पंचम वर्ष - रखरखाव का तृतीय वर्ष	2026 - 27	180000	34985
षष्ठम वर्ष - रखरखाव का चतुर्थ वर्ष	2027 - 28	190000	36929
सप्तम वर्ष - रखरखाव का पंचम वर्ष	2028 - 29	260000	50534
अष्टम वर्ष - रखरखाव का षष्ठम वर्ष	2029 - 30	230000	44703
नवम वर्ष - रखरखाव का सप्तम वर्ष	2030 - 31	255000	49563
दशमवर्ष - रखरखाव का अष्टम वर्ष	2031 - 32	280000	54422
ग्यारह वर्ष - रखरखाव का नवम वर्ष	2032 - 33	310000	60253
योग		3850000	748299


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र सरदारपुर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार